संख्याः 3089/XVIII(2)/2011–1(56)/09

384

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2011

विषयः–मै0 मेटलिंग पीक वाटर कम्पनी द्वारा श्री प्रशान्त कुमार भट्टाचार्य जे0–61, जलवायु विहार, हीरानन्दनी गार्डन, पवाई मुम्बई–40076 हाल थपलियाल भवन निकट विकास भवन लदाड़ी उत्तरकाशी को नैचुरल मिनरल वाटर, फैक्ट्री के निर्माण/स्थापना हेतु 0.196 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2720/सात–एम0बी0/भूलेख/2008–09 दि0–16.4.2009 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 मेटलिंग पीक वाटर कम्पनी द्वारा श्री प्रशान्त कुमार भट्टाचार्य पुत्र स्व0 श्री बी0के0 भट्टाचार्य, जे0–61, जलवायु विहार, हीरानन्दनी गार्डन, पवाई मुम्बई–40076 हाल थपलियाल भवन निकट विकास भवन लदाड़ी उत्तरकाशी को नैचुरल मिनरल वाटर, फैक्ट्री के निर्माण/स्थापना हेतु 0.196 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V)के अन्तर्गत आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खाता/खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (नेचुरल मिनरल वाटर फैक्ट्री के निर्माण/स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा

.....2

प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये नियमों/मानकों के अनुसार एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

8– प्रस्तावित उद्योग में मिनरल वाटर विनिर्मित किया जाना प्रस्तावित है। यह उत्पाद भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दि0–7.1.2003 के एनेक्जर–2 के क्रमांक–14 पर थ्रस्ट उद्योग में सम्मिलित है तथा इस उत्पाद पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

9– ईकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग मिनरल वाटर का विनिर्माण उद्योग के लिए किया जाएगा।

10– प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

11– इकाई द्वारा प्रश्नगत स्थापना के संबंध में स्पाट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्ण पालन किया जाएगा। इकाई में पूंजी निवेश/निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

12– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से संबंधित कार्यों का दायित्व संबंधित इकाई का होगा।

13– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य

.....3

कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दषा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15– प्रस्तावित परियोजना नेचुरल मिनरल वाटर फैक्ट्री के निर्माण/स्थापना से संबंधित है। अतः नेचुरल मिनरल वाटर के उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में पेयजल की उपलब्धता तथा अन्य बिन्दुओं के संबंध में संबंधित इकाई द्वारा पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं इसके अधीनस्थ अन्य विभागों से भी नियमानुसार स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी एवं उनके द्वारा निर्धारत शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन किया जाना भी अनिवार्य होगा।

16– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0–3089/सम्दिनांकित 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– श्री प्रशान्त कुमार भट्टाचार्य जे0–61, जलवायु विहार, हीरानन्दनी गार्डन, पवाई मुम्बई–40076 हाल थपलियाल भवन निकट विकास भवन लदाड़ी उत्तरकाशी।
6– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।